भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1821
(मंगलवार, 05 अगस्त, 2025/14 श्रावण, 1947(शक) को उत्तर के लिए)

छत्तीसगढ़ में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

1821 श्रीमती फूलो देवी नेतमः
क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत कितनी राशि व्यय की गई है;
(ख) व्यय की गई राशि का जिला-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सीएसआर के अंतर्गत राशि सांसदों की अनुशंसा पर व्यय की जाती है; और
(घ) यदि हाँ, तो विगत पाँच वर्षों के दौरान किन-किन संसद सदस्यों द्वारा और कितनी-कितनी अनुशंसित राशि से विकास कार्य कराए गए हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) से (घ): कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत, सीएसआर एक बोर्ड द्वारा संचालित प्रक्रिया है और कंपनी का बोर्ड अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर कंपनी के सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उन का निष्पादन करने और उन पर निगरानी करने के लिए अधिकृत है। सरकार कंपनियों को किसी कार्यकलाप या क्षेत्र में व्यय करने के लिए कोई निदेश जारी नहीं करती है। सीएसआर ढांचे के अनुसार, सीएसआर व्यय करने के लिए अधिकृत कंपनियों को एमसीए21 रजिस्ट्री में वार्षिक रूप से सीएसआर कार्यकलापों का विवरण फाइल करना अपेक्षित है। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा फाइल सीएसआर व्यय से संबंधित समस्त डाटा सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं और इसे www.csr.gov.in पर देखा जा सकता है। सरकार के पास संबंधित अधिदेशित कंपनियों द्वारा प्राप्त सिफारिशों या उन पर की कार्रवाई के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, छत्तीसगढ़ में पिछले पांच वित्तीय वर्षों 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक के लिए जिलावार और विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय क्रमशः अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II में संलग्न हैं।

******

अनुलग्नक-।

दिनांक 05.08.2025 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1821 के भाग (क) से (घ) से सदर्भित

छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक जिलेवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	जिला	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24
1.	बालोद	-	1.63	-	-	-
2.	बलौदाबाजार-भाटापारा	0.35	0.14	-	-	-
3.	बलरामपुर-रामानुजगंज	0.12	0.84	-	-	-
4.	बस्तर	0.05	5.11	15.26	12.12	17.24
5.	बेमेतरा	-	-	-	-	-
6.	बीजापुर	-	1.79	-	-	-
7.	बिलासपुर	20.82	14.31	16.74	28.10	46.40
8.	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	-	12.13	8.77	9.91	19.52
9.	धमतरी	0.75	1.54	1.83	9.29	2.71
10.	दुर्ग	16.58	8.26	13.52	11.26	5.91
11.	गरियाबंद	-	0.77	-	-	-
12.	गौरेला-पेंड्रा-मरवाही	-	-	-	-	-
13.	जांजगीर-चांपा	4.11	1.41	10.29	15.97	5.90
14.	जशपुर	0.22	1.40	2.31	0.27	2.73
15.	कबीरधाम	0.04	1.26	0.77	1.67	0.10
16.	खैरागढ़-छुईखदान-गंदई	-	-	-	-	-
17.	कोंडागांव	-	-	-	3.00	-
18.	कोरबा	17.05	18.74	22.03	27.23	37.20
19.	कोरिया	0.03	0.94	2.78	2.46	4.90
20.	महासमुंद	1.79		0.77	0.27	6.90
21.	मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर एमसीबी	-	-	-	-	-
22.	मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी	-	-	-		-
23.	मुंगेली	-	-	-	-	0.25
24.	नारायणपुर	2.20	3.24	-	-	-
25.	रायगढ़	5.35	6.19	23.22	273.62	107.77
26.	रायपुर	103.58	90.80	79.66	94.87	110.42
27.	राजनांदगांव	4.82	2.77	7.80	9.23	15.68
28.	शक्ति	-	-	-	-	-
29.	सारंगढ़-बिलाईगढ़	-	-	-	-	-
30.	सुकमा	0.23	1.60	2.49	1.41	
31.	सूरजपुर	1.40	3.67	1.17		1.53
32.	सरगुजा	0.45	12.70	11.89	10.58	5.03
33.	उत्तर बस्तर कांकेर	0.07	1.15	1.02	6.59	9.15
34.	जिला वर्गीकृत नहीं	89.68	133.24	95.36	91.24	23.41
	कुल	**269.68**	**325.63**	**317.70**	**609.08**	**422.73**

(31.03.2025 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा मैनेजमेंट सेल)

*****

अनुलग्नक- II

दिनांक 05.08.2025 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1821 के भाग (क) से (घ) से संदर्भित

छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक विकासवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	विकास क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24
1.	कृषि वानिकी	0.00	-	0.05	0.44	1.09
2.	पशु कल्याण	0.68	0.14	0.42	0.58	0.62
3.	सशस्त्र बल, भूतपूर्व, सैनिक, वीरांगनाएं/आश्रित	0.08	0.01	0.39	0.10	0.53
4.	कला और संस्कृति	4.97	1.62	0.78	7.39	9.02
5.	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	1.45	0.25	-	0.19	0.55
6.	शिक्षा	50.40	60.84	53.75	277.52	100.41
7.	पर्यावरणीय स्थिरता	14.62	21.15	21.20	27.44	14.85
8.	लैंगिक समानता	0.17	0.05	0.08	0.31	0.21
9.	स्वास्थ्य देखभाल	112.06	91.93	166.04	133.77	110.67
10.	आजीविका वृद्धि परियोजनाएं	2.93	2.71	9.10	23.91	39.31
11.	गरीबी, भूख उन्मूलन, कुपोषण	2.94	69.06	6.43	24.71	17.16
12.	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	12.37	31.91	36.50	79.14	89.43
13.	सुरक्षित पेयजल	3.35	3.16	4.45	2.29	1.77
14.	स्वच्छता	52.44	25.67	1.64	13.56	0.42
15.	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	1.01	0.82	0.55	3.06	4.52
16.	महिलाओं के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना	-	0.03	-	0.02	0.18
17.	अनाथालय की स्थापना	-	-	0.00	0.18	0.21
18.	स्लम क्षेत्र विकास	0.13	0.05	0.39	0.32	0.63
19.	सामाजिक-आर्थिक समानता	1.36	2.12	3.02	1.47	2.11
20.	विशेष शिक्षा	1.91	0.76	1.26	1.55	2.50
21.	प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर	-	0.13	-	-	-
22.	खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	0.91	6.82	1.78	5.83	9.56
23.	व्यावसायिक कौशल	3.88	3.80	8.69	1.59	13.22
24.	महिला सशक्तिकरण	2.01	2.61	1.20	3.73	2.26
25.	एनईसी/उल्लेख नहीं किया गया*	-	-	-	-	1.49
	कुल	**269.68**	**325.63**	**317.70**	**609.08**	**422.73**

(31.03.2025 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा मैनेजमेंट सेल)

* कंपनियों ने या तो क्षेत्रों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक क्षेत्रों को इंगित किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

*****